

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित के पारंपरिक ताप तथा जल विद्युत ग्रहों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता के वास्तविकीकरण (टू- अप) एवं वर्ष 2025-26 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता के निर्धारण हेतु माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत याचिका क्रमांक 95/2024 की संक्षेपिका:

## 1. प्रस्तावना:

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित (यथोपरांत उत्पादन कम्पनी) द्वारा दिनांक 01/01/2009 से कार्य निष्पादन प्रारंभ किया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (एतद पश्चात् आयोग) द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारियों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2021 (यथोपरांत विनियम 2021) लागू किये गए थे जिनकी प्रभावी अवधि वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 तक है। तदनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के वास्तविकीकरण हेतु विनियम 2021 के आधार पर याचिका प्रस्तुत की गई है। इस याचिका में समेकित कोयला खदान से प्राप्त कोयले की कीमत का वास्तविकीकरण (टू-अप) भी शामिल हैं।

माननीय आयोग ने पत्र दिनांक 24.10.2024 के माध्यम से वित्त वर्ष 2025-26 के टैरिफ निर्धारण हेतु विद्युत अधिनियम 2003 के सिद्धांतों तथा विनियम 2021 का पालन करते हुए याचिका प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया। तदनुसार याचिका में वर्ष 2025-26 हेतु वार्षिक राजस्व की आवश्यकता के निर्धारण की प्रार्थना भी सम्मिलित है। टैरिफ विनियम के अनुसार ऊर्जा प्रभार की गणना कोयले की पहुँच लागत के आधार पर की जाती है। अतः समेकित कोयला खदान से प्राप्त कोयले की वर्ष 2025-26 हेतु अंतर्गृहीत कीमत का निर्धारण भी प्रस्तावित है।

## 2. वर्ष 2023-24 का वास्तविकीकरण (टू अप)

प्रस्तुत याचिका में हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा, 1x500 मेगावाट कोरबा पश्चिम ताप विद्युत गृह, अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह एवं हसदेव-बांगो जल विद्युत गृह हेतु वर्ष 2023-24 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता के वास्तविकीकरण की प्रार्थना सम्मिलित है। साथ ही गारे-पेलमा-III समेकित कोयला खदान से प्राप्त कोयले की कीमत का वास्तविकीकरण (टू-अप) भी शामिल किया गया है।

### 3. वास्तविकीकरण हेतु अपनायी गई प्रक्रिया एवं अवलंबित सिद्धांत

वास्तविकीकरण के लिए छ.रा.वि.नियामक आयोग द्वारा पूर्ववर्ती आदेशों में अपनायी गई प्रक्रिया एवं बहुवर्षीय विद्युत दर निर्धारण विनियम 2021 में अवधारित सिद्धांतों का अनुसरण किया गया है। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

- वर्ष 2023-24 के टू-अप हेतु सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा अंकेक्षित एवं महालेखापरीक्षक को प्रस्तुत लेखा को आधार माना गया है।
- कोयला खदान से प्राप्त कोयले की कीमत के वास्तविकीकरण हेतु वर्ष 2022-2023 के टू-अप आदेश के अनुरूप याचिका प्रस्तुत की गयी है। इस हेतु मुख्य रूप से टैरिफ विनियम 2021 के अध्याय 5 के प्रावधानों का अनुसरण किया गया है।
- प्रस्तुत याचिका में वर्ष 2023-24 हेतु प्रारंभिक पूंजीगत लागत एवं पूंजी संरचना वही मानी गई है जो माननीय आयोग द्वारा आदेश दिनांक 01 /06 /2024 में वित्तीय वर्ष 2022-2023 के वर्षांत पर निर्धारित की गई है। अतिरिक्त पूंजीकरण हेतु पूर्ववर्ती आदेश में माननीय आयोग द्वारा अपनाई गई पद्धति सामान्यतः अंगीकृत की गई है।
- विनियम 17 एवं 18 के अनुसार पूंजी संरचना एवं विनियम 36 एवं 37 के अन्तर्गत विद्युत दरों के अवयव निर्धारित किये गये हैं। विनियम 23 में पूंजी पर प्रतिलाभ, विनियम 24 में ऋण पर ब्याज (नियामक ऋण सहित), विनियम 25 में मूल्य हारस, विनियम 26 में कार्यशील पूंजी पर ब्याज, विनियम 40.5 में संचालन-संधारण व्यय एवं विनियम 45 में परिवर्तनीय लागत (ईंधन की लागत) के संबंध में विस्तृत सिद्धांत प्रतिपादित है। विनियम 41 में विद्युत दरों के अलावा होने वाली आय प्राविधित है। इसके अतिरिक्त पेंशन कोष अंशदान बहुवर्षीय टैरिफ आदेश के अनुपालन में दिया गया है।
- याचिका में संचालन मानकों, परफॉर्मेंस मानकों में पड़ने वाले प्रभाव, पूर्ववर्ती वर्षों के दायित्व/प्राप्ति समायोजन तथा लाभ/हानि में सहभागिता आदि को समावेशित किया गया है।
- प्रस्तुत याचिका में मुख्यतः उपरोक्त प्रावधानों को ही अपनाया गया है साथ ही प्रत्येक मद में माननीय आयोग द्वारा पूर्ववर्ती आदेशों में अपनाई गई प्रक्रिया एवं प्रस्तुत याचिका में गणना आधार को भी विभिन्न उपशीर्षकों के अन्तर्गत विस्तार से आलेखित किया गया है।
- याचिका की पूर्ववर्ती कंडिकाओं में उल्लेखित सिद्धांतों के अनुसार वास्तविकीकरण (टू-अप) हेतु हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा, 1x500 मेगावाट कोरबा पश्चिम ताप विद्युत गृह, अटल बिहारी वाजपेयी ताप

विद्युत गृह एवं हसदेव-बांगो जल विद्युत गृह हेतु दरों के विभिन्न अवयवों यथा अंशपूंजी पर प्रतिलाभ, मूल्यहारस, ऋण पर ब्याज एवं वित्त पोषण व्यय, संचालन संधारण व्यय, ग्रेच्युटी एवं पेंशन कोष में योगदान, तेल एवं कोयले पर व्यय, कार्यशील पूंजी पर ब्याज आदि की गणना की गई है। संदर्भानुसार विस्तृत प्रार्थना तर्कों एवं तथ्यों सहित सम्मिलित की गई है। पूर्व वर्षों में माननीय आयोग द्वारा स्वीकृत पद्धति के अनुरूप ही इस याचिका में आयकर एवं संशोधित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के फलस्वरूप राख के उपयोग हेतु आवश्यक व्यय को अनुमोदनार्थ सम्मिलित किया गया है। साथ ही भारत शासन द्वारा कोयला उत्खनन पर लागू फिक्स रिज़र्व प्राइस की अवशेष राशि का प्रतिपूर्ति अनुरोध भी सम्मिलित है।

**4. वित्तीय वर्ष 2023-24 के वास्तविकिकरण के कारण राजस्व कमी / आधिक्य:-**

- वर्ष 2023 -24 हेतु गारे-पेलमा -III समेकित कोयला खदान से प्राप्त कोयले की अन्तर्गृहीत कीमत रु 1559.14 प्रति टन परिकलित की गयी है।
- विनियमों के अनुसार गणना के आधार पर वित्तीय वर्ष 23-24 में सकल राजस्व प्राप्ति एवं वार्षिक राजस्व आवश्यकता की तुलना करने पर रुपये 246.05 करोड़ की शुद्ध राजस्व कमी अभिकलित की गयी है। स्थापित सिद्धांत के अनुसार उस पर कैरिंग कॉस्ट जोड़ने पर वर्ष 25-26 में रुपये 294.74 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व की 12 समान किशतों में पूर्ति हेतु छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा माननीय आयोग से प्रार्थना प्रस्तुत की गयी है। संयंत्रवार राजस्व आवश्यकता एवं राजस्व आधिक्य / कमी का विवरण संलग्नक (अ) में प्रस्तुत है।

**5. वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का निर्धारण: -**

- माननीय आयोग के निर्देशानुसार वर्ष 2025-26 हेतु वार्षिक राजस्व की आवश्यकता के निर्धारण हेतु विद्युत अधिनियम 2003 के सिद्धांतों तथा विनियम 2021 के प्रावधानों का अनुसरण किया गया है। टैरिफ विनियम के अनुसार ऊर्जा प्रभार की गणना कोयले की पहुँच लागत के आधार पर की जाती है। अतः समेकित कोयला खदान से प्राप्त कोयले की वर्ष 2025-26 हेतु अंतर्गृहीत कीमत का निर्धारण भी प्रस्तावित है।
- याचिका में हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा, 1x500 मेगावाट कोरबा पश्चिम ताप विद्युत गृह, अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह एवं हसदेव-बांगो जल विद्युत गृह को आवश्यक वार्षिक राजस्व की गणना हेतु सम्मिलित किया गया है।

- कोयला खदान से प्राप्त कोयले की वर्ष 2025-26 हेतु अंतर्गृहीत कीमत का निर्धारण हेतु वार्षिक लक्ष्य मात्रा (ए टी क्यू ) ओवर ग्राउंड खदान क्षमता के आधार पर मानी गयी है । शेष अवयवों की गणना पूर्व वर्षों में माननीय आयोग द्वारा स्वीकृत पद्धति एवं विनियमों के सिद्धांतों के अनुरूप की गयी है । वर्ष 2025-26 हेतु गारे-पेलमा -III समेकित कोयला खदान से प्राप्त कोयले की अंतर्गृहीत कीमत रु 1659.97 प्रति टन परिकलित की गयी है ।
- संयंत्रों के संचालन मानदंड माननीय आयोग द्वारा वर्ष 2024 -25 हेतु निर्धारित मानदंड के सामान ही रखे गए हैं ।
- पूंजीगत संरचना की गणना, वर्ष 2025-26 हेतु प्रस्तुत अतिरिक्त पूंजीकरण याचिका के आधार पर की गयी है ।
- अंशपूंजी पर प्रतिलाभ हेतु माननीय आयोग द्वारा प्रकाशित प्रारूप विनियम 2024 एवं केंद्रीय विद्युत् नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित विनियम 2024 तथा भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विद्युत् (द्वितीय संशोधन) नियम, 2023 के नियम 20 के अनुरूप गणना की गयी है ।
- ताप विद्युत् गृहों के संचालन संधारण व्यय की गणना हेतु विनियम 2021 में अपनाये गए सिद्धान्तों के अनुरूप किया गया है । हसदेव-बांगो जल विद्युत् गृह के संचारण - व्यय हेतु बहुवर्षीय टैरिफ आदेश के सिद्धान्तों का अनुपालन किया गया है ।
- हसदेव ताप विद्युत् गृह कोरबा पश्चिम हेतु विशेष वार्षिक वृत्ति केंद्रीय विद्युत् नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित विनियम 2024 के अनुरूप ही प्रस्तुत की गयी है जिसका प्रारंभिक 50 प्रतिशत वार्षिक राजस्व में अन्तर्निहित कर प्रस्तावित है एवं शेष वास्तविकीकरण के आधार पर मान्य होगा ।
- संशोधित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के फलस्वरूप राख राखड के उपयोग हेतु आवश्यक व्यय एवं अन्य आय को वर्ष 23 -24 के वास्तविक खर्चों के आधार पर तथा वार्षिक वृद्धि दर के आधार पर आवश्यक राजस्व में जोड़कर अनुमोदनार्थ सम्मिलित किया गया है ।
- शेष अवयवों यथा मूल्यहारस, ऋण पर ब्याज, द्वितीयक ईंधन (तेल ) की लागत, ग्रेच्युटी एवं पेंशन कोष में योगदान एवं वित्त पोषण व्यय कार्यशील पूंजी पर ब्याज आदि की गणना पूर्व वर्षों में माननीय आयोग द्वारा स्वीकृत पद्धति एवं विनियमों के सिद्धांतों के अनुरूप की गयी है ।

- कोयले के लागत की गणना हेतु वर्ष 2023 -24 के वास्तविकीकरण को आधार माना गया है।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये ऊर्जा प्रभार निम्नानुसार है :

| उत्पादन संयंत्र                  | एच.टी.पी.एस. | डी.एस.पी.एम<br>. टी.पी.एस. | के.डब्लू.<br>टी.पी.पी. | ए.बी.वी.टी.<br>पी.एस. | हसदेव-<br>बांगो |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|
| ऊर्जा प्रभार (रु. प्रति<br>इकाई) | 1.603        | 1.727                      | 1.362                  | 1.944                 | -               |

- विनियमों एवं पूर्ववर्ती आदेशों के अनुरूप आयकर / जलकर / स्टार्ट-अप पावर / सांविधिक प्रभार/कर/उपकार/विचलनीय लागत समायोजन इत्यादि पास-थ्रू प्रभार पृथकतः प्रतिपूर्ति के योग्य होंगे।
- संदर्भानुसार विस्तृत प्रार्थना तर्कों एवं तथ्यों सहित सम्मिलित की गई है।
- संयंत्रवार राजस्व आवश्यकता का विवरण संलग्नक (ब) में प्रस्तुत है।

\*\*\*\*\*

कृपया पृष्ठ पलटें

**संगलग्रक (अ )**

समीक्षाधीन अवधि हेतु अभिकलित सकल राजस्व आवश्यकता एवं अभिकलित राजस्व की कमी का विवरण:-

(करोड़ रु में)

| विवरण                               | ह.ता.वि.गृह    | डी.एस.पी.ए<br>म टी.पी.एस. | कोरबा<br>पश्चिम | ए.बी.वी.<br>टी.पी.एस,<br>मड़वा | हसदेव<br>बांगो |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|
| मूल्यहारस                           | 53.65          | 131.22                    | 222.84          | 522.34                         | 2.62           |
| ब्याज और वित्तीय प्रभार             | 14.39          | 0.20                      | 107.04          | 415.27                         | 0.23           |
| अंश पूंजी पर प्रतिलाभ               | 66.59          | 100.12                    | 87.64           | 154.31                         | 5.62           |
| संचालन संधारण व्यय                  | 308.90         | 203.08                    | 118.26          | 275.41                         | 7.65           |
| विशेष वार्षिक वृत्ति                | 32.80          |                           |                 |                                |                |
| कार्यशील पूंजी पर<br>ब्याज          | 23.17          | 16.90                     | 13.44           | 37.38                          | 0.67           |
| (- अन्य आय )                        | 19.59          | 4.76                      | 3.55            | 9.22                           | 0.01           |
| <b>कुल वार्षिक स्थिर<br/>प्रभार</b> | <b>479.91</b>  | <b>446.74</b>             | <b>545.67</b>   | <b>1395.50</b>                 | <b>16.79</b>   |
| कोयले की लागत                       | 893.55         | 664.01                    | 518.27          | 1421.40                        | 0.00           |
| ईंधन तेल की लागत                    | 21.17          | 5.78                      | 8.99            | 8.62                           | 0.00           |
| <b>कुल ऊर्जा प्रभार</b>             | <b>914.72</b>  | <b>669.80</b>             | <b>527.26</b>   | <b>1430.03</b>                 | <b>0.00</b>    |
| पेंशन/ग्रेच्युटी कोष<br>सहभागिता    | 150.74         | 55.93                     | 33.48           | 91.55                          | 4.77           |
| राख के उपयोग हेतु<br>आवश्यक व्यय    | 25.45          | 13.88                     | 30.77           | 33.47                          | 0.00           |
| <b>सकल राजस्व<br/>आवश्यकता</b>      | <b>1570.82</b> | <b>1186.34</b>            | <b>1137.18</b>  | <b>2950.54</b>                 | <b>21.56</b>   |

(करोड़ रु में)

| विवरण                                                                                                            | FY 2023-24    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| संयंत्रवार सकल राजस्व आवश्यकता                                                                                   | 6,866.45      |
| जल प्रभार/आयकर/स्टार्टअप पावर/पूर्ववर्ती वर्ष की प्रतिपूर्ति / वैधानिक शुल्क / नियंत्रण योग्य कारकों से लाभ हानि | 831.41        |
| सकल राजस्व आवश्यकता                                                                                              | 7,697.86      |
| कुल राजस्व                                                                                                       | 7,451.81      |
| <b>वर्ष के दौरान राजस्व कमी</b>                                                                                  | <b>246.05</b> |

(करोड़ रु में)

| विवरण                                                                   | वित्त वर्ष<br>2023-24 | वित्त वर्ष<br>2024-25 | वित्त वर्ष<br>2025-26 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| राजस्व कमी वर्ष के प्रारंभ में                                          |                       | 256.37                | 279.44                |
| राजस्व कमी वर्ष के दौरान                                                | 246.05                |                       |                       |
| राजस्व कमी वर्ष के अंत में                                              | 246.05                | 256.37                |                       |
| ब्याज दर                                                                | 8.22%                 | 9.00%                 | 10.95%                |
| वहन लागत वर्ष के दौरान                                                  | 10.12                 | 23.07                 | 15.30                 |
| <b>कुल राजस्व कमी</b>                                                   | <b>256.17</b>         | <b>279.44</b>         | <b>294.74</b>         |
| कुल राजस्व कमी                                                          |                       |                       | 294.74                |
| <b>वित्त वर्ष 25-26 में 12 समान किस्तों में प्रस्तावित मासिक रिकवरी</b> |                       |                       | <b>24.562</b>         |

टीप : वित्त वर्ष 2024-25 के प्रारंभ में राजस्व कमी की गणना में विगत वर्ष के कार्यशील पूंजी पर ब्याज के वास्तविकीकरण का अंतर शामिल है।

**संगलग्रक (ब)**

(करोड़ रु में)

| विवरण                               | ह.ता.वि.गृह    | डी.एस.पी.एम<br>टी.पी.एस. | कोरबा पश्चिम   | ए.बी.वी.<br>टी.पी.एस,<br>मड़वा | हसदेव<br>बांगो | कुल             |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|
| मूल्यहारस                           | 59.66          | 132.98                   | 222.84         | 522.34                         | 4.16           | 941.99          |
| ब्याज और वित्तीय<br>प्रभार          | 5.03           | 0.00                     | 65.94          | 312.45                         | 0.78           | 384.20          |
| अंश पूंजी पर प्रतिलाभ               | 91.63          | 136.13                   | 119.89         | 209.60                         | 8.58           | 565.84          |
| संचालन संधारण व्यय                  | 438.32         | 211.99                   | 123.68         | 270.87                         | 17.17          | 1,062.03        |
| विशेष वार्षिक वृत्ति                | 45.15          |                          |                |                                |                | 45.15           |
| कार्यशील पूंजी पर<br>ब्याज          | 30.99          | 22.71                    | 17.93          | 51.09                          | 0.61           | 123.33          |
| (- अन्य आय )                        | 21.70          | 5.27                     | 3.93           | 10.21                          | 0.01           | 41.12           |
| <b>कुल वार्षिक स्थिर<br/>प्रभार</b> | <b>649.09</b>  | <b>498.54</b>            | <b>546.36</b>  | <b>1356.13</b>                 | <b>31.29</b>   | <b>3,081.41</b> |
| कोयले की लागत                       | 781.40         | 571.73                   | 466.53         | 1345.22                        | 0.00           | 3,164.87        |
| ईंधन तेल की लागत                    | 33.37          | 13.33                    | 13.80          | 26.30                          | 0.00           | 86.80           |
| <b>कुल ऊर्जा प्रभार</b>             | <b>814.77</b>  | <b>585.06</b>            | <b>480.32</b>  | <b>1,371.51</b>                | <b>0.00</b>    | <b>3,251.67</b> |
| पेंशन/ग्रेच्युटी कोष<br>सहभागिता    | 186.42         | 69.16                    | 41.40          | 113.22                         | 5.90           | 416.11          |
| राख के उपयोग हेतु<br>आवश्यक व्यय    | 28.20          | 15.37                    | 34.09          | 37.08                          | 0.00           | 114.74          |
| <b>सकल राजस्व<br/>आवश्यकता</b>      | <b>1678.48</b> | <b>1168.14</b>           | <b>1102.17</b> | <b>2877.95</b>                 | <b>37.19</b>   | <b>6,863.93</b> |